न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)
पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
78/दावा/2022(2022/162)	29.11.2022	21.06.2024

1. *किशनलाल आ0 श्री किशन जाति धाकड निवासी तुलसी तह0 तालेडा जिला बून्दी*

वादी

बनाम

1. *राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।*
2. *राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय बून्दी जिला बून्दी*

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री कुलदीप सिंह गोड
अधिवक्ता प्रतिवादीः– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –
वाद अन्तर्गत धारा– 88,89 एवं 209 आर.टी.एक्ट

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 89 आर.टी.एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि जमाबन्दी सम्वत वर्ष 2019 की खतोनी संख्या नई 67 पुरानी 1 की कृषि भूमि खसरा संख्या 191 रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा में से 2 बीघा 10 बिस्वा वाके वाके ग्राम तुलसी तहसील तालेडा जिला बूंदी में स्थित है। कृषि भूमि खसरा संख्या 191 बीघा 2 बिस्वा में से 2 बीघा 10 बिस्वा पर वादी का अपने पिता के समय से ही निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है, उक्त भूमि को आज से 40–50 वर्ष पूर्व प्रार्थी व उसके पिता द्वारा खाल, दरड़ों से आबाद कर काफी राशि खर्च कर कृषि योग्य बनाया है। अभी भी वादी ने उक्त भूमि में गेहूँ की फसल बोई थीं जो पककर तैयार होने वाली है। उक्त भूमि की चतुर्थसीमा निम्न प्रकार हैः–

पूर्व में	– स्वयं प्रार्थी का मकान
पश्चिम में	– धासू बंजारा की कृषि भूमि
दक्षिण में	– आम रास्ता
उत्तर में	– आम रास्ता

उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 191 रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा में से 2 बीघा 10 बिस्वा पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा सिवायचक कृषि भूमि पर लम्बे अर्से से खेती करते चला आ रहा है। उक्त आराजी को वादी ने उक्त कृषि भूमि को काफी राशि खर्च करके काबिल काश्त बनाने के लिए खाल दडों को तैयार किया, मशीनो से तैयार करवाया। जिसमें करीब डेढ लाख रूपये का खर्चा हुआ है एवं हर सालो साल इस कृषि भूमि खसरा संख्या 191 रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा में से 2 बीघा 10 बिस्वा सिवायचक कृषि भूमि में तिल्ली, मक्का, गेहूँ इत्यादि की फसल कर सालो साल करता चला आ रहा है। उक्त सिवायचक कृषि भूमि में वादी का कब्जा काश्त है तथा वादी अपने पिता के समय से उक्त कृषि भूमि पर से परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। वादी द्वारा उक्त कृषि भूमि को अपने नाम आवंटन व नियमन कराने हेतु पत्रावली राजस्व शिविर प्रभारी अधिकारी ग्राम जाखमूण्ड में राजस्व शिविर अभियान के तहत प्रस्तुत कर दी थी जिसमें प्रभारी अधिकारी द्वारा तहसीलदार तालेडा से रिपोर्ट प्राप्त कर व नगर विकास न्यास कोटा से रिपोर्ट प्राप्त कर ली है जिसमें भी कब्जा होना प्रमाणित पाया है। वादी पर उक्त कृषि भूमि की कोई भी राजस्व राशि बकाया नही है। वादी ने निरन्तर रूप से राजस्व राशि जमा व पेनल्टी राशि को नियमित रूप से जमा कराया है। आवंटन में जमा होने वाली राशि को भी वादी द्वारा नियमित रूप से राजस्व विभाग को जमा करवाया गया है। राजस्व रिकार्ड खसरा परिवर्तनशील के आधार पर वादी 40–50 वर्षो से अब तक काबिज काश्त चला आ रहा है। इसलिए वादी का कानूनी अधिकार है कि प्रतिवादीगण उनको बेदखल नहीं करे उनको फसल बोने जोने एवं काटने से नहीं रोके । इस आशय के आदेश प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

Scanned with OKEN Scanner

चहकि वाद वर्णित कृषि भूमि पर पिछले लगभग 40-50 वर्षो से वादी निरन्तर काबिज काश्त है तथा उक्त कृषि की फसल से अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। इस प्रकार वादी 40-50 वर्षो से उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त रहने से कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादी को उक्त कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। वादी वाद वर्णित कृषि भूमि का खातेदार कृषक बन चुका है। वादी निरन्तर काबिज काश्त रहने से वादी का नाम राजस्व रिकार्ड खसरा परिवर्तनशील में दर्ज हो रहे है। वादी द्वारा निरन्तर पेनल्टी राशि प्रतिवादी संख्या 1 के कार्यालय में नियमित रूप से जमा करवायी जाती रही है। प्रतिवादीगण जबरन बिना विधिक प्रकरिया अपनाये वादी को उसके शान्तिपूर्वक काबिज काश्त की कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। वादी के नाम खातेदारी अधिकार में दर्ज नही होने से वादी को वाद वर्णित कृषि भूमि बाबत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी जाने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। वादी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि खातेदारी बाबत तय होने पर राज्य सरकार में जमा कराने को तैयार है। प्रतिवादीगण उन्हें बिना विधिक प्रक्रिया अपनाऐ बेदखल करने पर तत्पर होने पर वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि उक्त कृषि भुमि पर पिछले 40-50 वर्षो से मैं काबिज काश्त हूँ तथा मैं उक्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक बन चुका हूँ। फिर भी प्रतिवादीगण वादी को बेदखल करने की धमकी दे रहे है। यही वाद कारण है जो निरन्तर पैदा हो रहा है। अतःश्रीमान से प्रार्थना है वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 191 रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा में से 2 बीघा 10 बिस्वा में वादी को अपने अपने कब्जें, स्वामित्व की कृषि भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषणा की जाकर वादी का नाम खातेदार कृषक के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार अंकित किया जाये । प्रतियादीगण बिना विधिक प्रकिया अपनाये वादी को उसके कब्जें काश्त की कृषि भूमि से बेदखल नही करे एवं नियमानुसार विधिक प्रकिया अपनाकर खातेदारी सम्बन्धित जो भी अनुतोष प्राप्त हो वह वादी को दिलाया जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार ग्राम तुलसी की आराजी ख0सं0 191 रकबा 2.7680 हैक्टे0 किस्म गै0मु0 पठार , नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज है। सिवायचक खाता सरकार दर्ज नही है। वाद पत्र की चरण सं0 2 लगायत 11 अस्वीकार कर निवेदन किया कि कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते। चुकी उक्त आराजी वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज है और नगर विकास न्यास को वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। अतः वाद वादी खारिज योग्य है।

वादी की ओर से वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत 2072-75 वाके ग्राम तुलसी, खसरा परिवर्तनशील संवत 2071, खसरा परिवर्तनशील संवत 2070, खसरा परिवर्तनशील संवत 2069, खसरा परिवर्तनशील संवत 2068 प्रति पेश की।

बहस उभयपक्ष समाहत की गई । बहस वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वर्णित आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर नियमानुसार आवंटन अथवा नियमन किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट अनुसार वाद वर्णित आराजी राजस्व रेकार्ड अनुसार नगर विकास न्याय कोटा के नाम दर्ज होने एवं नगर विकास न्यास कोटा को पक्षकार नही बनाये जाने से वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन कर पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज नकल जमाबन्दी संवत 2072-75 वाके ग्राम तुलसी, खसरा परिवर्तनशील संवत 2071, खसरा परिवर्तनशील संवत 2070, खसरा परिवर्तनशील संवत 2069, खसरा परिवर्तनशील संवत 2068 का अवलोकन करने से वादी नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज भूमि पर अतिकमी है। अतिकमण के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है एवं वादी द्वारा नगर विकास न्यास कोटा को भी पक्षकार नही बनाया गया, अपितु वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में नगर विकास न्यास के खाते दर्ज रेकार्ड है। अतः वाद वादी आवश्यक पक्षकार के कुसंयोजन एवं आवंटन नियमो के परिपेक्ष्य में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner